भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1154
उत्तर देने की तारीख-13/12/**202**3

केवी में विद्यालय विकास निधि एवं कम्प्यूटर शिक्षा

1154 # **श्री राम नाथ ठाकुरः**

क्या ***शिक्षा*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) केन्द्रीय विद्यालयों द्वारा विद्यालय विकास निधि और कंप्यूटर शिक्षा हेतु प्रति बच्चे कितनी राशि वसूल की जा रही है;
(ख) क्या मंत्रालय कोरोना काल में वसूली गई राशि को वापस करने पर विचार करेगा; और
(ग) क्या शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के अनुसार केन्द्रीय विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों से किसी भी प्रकार की धनराशि वसूलना कानून के प्रावधानों का उल्लंघन है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अन्नपूर्णा देवी)

(क) और (ख) केंद्रीय विद्यालय संगठन (केविसं) द्वारा छात्रों से विद्यालय विकास निधि (वीवीएन) और कंप्यूटर निधि बहुत मामूली दर पर ली जा रही है। तथापि, वीवीएन की छूट बीपीएल श्रेणी के अंतर्गत आने वाले माता-पिता/अभिभावकों के बच्चों, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (आरटीई अधिनियम, 2009) के तहत कक्षा I से VIII तक प्रवेश पाने वाले छात्रों, कक्षा VI से XII तक एकल बालिकाओं, दिव्यांग छात्रों, पीएम केयर्स के तहत प्रवेश-प्राप्त छात्रों, वर्ष 1962, 1965, 1971 और 1999 के युद्ध के दौरान सशस्त्र बलों के मारे गए या दिव्यांग हुए अधिकारियों और जवानों तथा अर्धसैनिक कर्मियों के बच्चों और साथ ही श्रीलंका में भारतीय शांति सेना के रक्षा कर्मियों के बच्चों और सियाचिन क्षेत्र में "ऑपरेशन मेघदूत" और कारगिल में "ऑपरेशन विजय" में सशस्त्र बलों के मारे गए या दिव्यांग हुए कार्मिकों के बच्चों तथा सशस्त्र बलों और अर्धसैनिक कर्मियों के बच्चों, जिनके माता-पिता भारत में या विदेश में किसी भी जबाबी कार्रवाई के दौरान मारे गए/लापता घोषित किए गए या स्थायी रूप से दिव्यांग घोषित किए गए हों, को दी जाती है। ये निधियां/शुल्क केविसं की शुल्क संरचना का हिस्सा हैं और इनका उपयोग छात्र कल्याण गतिविधियों के साथ-साथ विद्यालय के रखरखाव, शैक्षणिक गतिविधियों के लिए किया जाता है और ये स्कूल में विकासात्मक गतिविधियों के लिए आवश्यक हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान, स्कूल की गतिविधियों के साथ-साथ शैक्षणिक गतिविधियां भी ऑनलाइन मोड में जारी रहीं। कोविड-19 महामारी की अवधि के दौरान ली गई राशि वापस करने का ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ग) सरकार द्वारा केंद्रीय विद्यालयों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 2 (त) के तहत 'विनिर्दिष्ट श्रेणी' के तहत अधिसूचित किया गया है। आरटीई अधिनियम, 2009 की धारा 12 (I) (ग) के अनुसार, धारा 2 (ढ) (iii) के तहत विनिर्दिष्ट कोई विद्यालय पहली कक्षा में, आसपास में दुर्बल वर्ग और अलाभित समूह के बालकों को, उस कक्षा के बालकों की कुल संख्या के कम से कम पच्चीस प्रतिशत की सीमा तक प्रवेश देगा और नि:शुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा होने तक, प्रदान करेगा। आरटीई अधिनियम, 2009 के तहत कक्षा I से VIII तक प्रवेश पाने वाले छात्रों से कोई शुल्क नहीं लिया गया है।

*****